कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला आगर–मालवा(म.प्र.)

E-mail: agarslr@gmail.com Ph: 07362-260104

क्रमांक /797/ भू.अभि. / वर्कलोड / 2016 आगर–मालवा, दिनांक 20/05/2016

::निविदा::

कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर के निर्देशानुसार पांचवी लघु सिंचाई संगणना वर्ष 2013–14 के पत्रकों को आनलाईन किया जाना है इस हेतु डाटा के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा आनलाईन साफ्टवेयर तैयार किया गया है जो http://mi5census-data.nic.in पर देखा जा सकता है। इसका मैन्यूअल उक्त वैबसाइट पर लपलब्ध है। आगर मालवा जिले की पांचवी लघु सिंचाई संगठना में लगभग 25931 योजनाएं सर्वेक्षित है जिनके पत्रकों का आनलाईन डाटाएंन्ट्री कार्य कराने हेतु निम्नानुसार निविदा की शर्तो पर निजी संस्था/एजेन्सी से कराया जाना है:–

1. उक्त कार्य 30 जून तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. पत्रक–1, पत्रक–2 एवं ग्राम –सूची का डाटाएंट्री जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदाय साइट http://mi5census-data.nic.in पर उपलब्ध आनलाईन साफ्टवेयर से ही की जावेगी।
3. उक्त कार्य हेतु चयनित एजेन्सी को यूजर नेम एवं पासवर्ड भू–अभिलेख कार्यालय आगर मालवा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. चयनित एजेन्सी के पास स्वयं के कम से कम पांच कम्प्यूटर उपकरण इंटरनेट कनेक्शन सहित, पांच कम्प्यूटर ट्रेंड कर्मचारी एवं सुचारू गति (कम से कम 4 MBPS) वाले इन्टरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सभी कम्प्यूटर एवं उपकरण एक ही स्थान पर रखा जावे ताकि समय–समय पर कार्य की निगरानी की जा सकें।
5. बिजली की अनवरत उपलब्धता हेतु सभी कम्प्यूटर में इनवर्टर एवं यूपीएस एजेन्सी के पास होना चाहिए तथा एजेन्सी अपने स्वयं के कार्यालय में इस कार्य को संपादित करेगी।
6. भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक लघु सिंचाई योजना के प्रत्येक पत्रक प्रति योजना की समस्त जानकारी, ग्राम अनुसूची की समस्त जानकारी एवं अन्य जो भी जानकारी साफ्टवेयर में आनलाईन डाटा एंट्री किए जाने के कार्य हेतु निविदाकारों से प्राप्त दर के आधार पर न्यूनतम दर को स्वीकृत जावेगा।
7. समस्त डाटाएंट्री पूर्ण करने के पश्चात अधिकृत एजेन्सीज को 60% राशि का भुगतान किया जावेगा तथा भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आंकडों की त्रुटि रहित होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेन्सी को शेष 40% राशि का भुगतान किया जावेगा।
8. डाटा एंट्री में कोई त्रुटि पाई जाने पर उसकी दुरूस्ती का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा। इस कार्य के लिये उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. जिलों में प्रभारी अधिकारी को जिला लघु सिंचाई संगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके निर्देशानुसार यह कार्य संपादित किया जाकर समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाना है।
10. संबंधित एजेन्सी डाटा जनरेट कर त्रुटि रहित साफ्ट कापी/प्रिंट कापी जिला लघु सिंचाई संगणना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिसका ओरिजनल पत्रकों से मिलान कर जिला लघु सिंचाई संगणना अधिकारी को त्रुटि रहित होने पर पत्रक–1, पत्रक–2 एवं ग्रम सूची का फायनल प्रिंट दो प्रतियों में उपलब्ध करायेगें। इस कार्य के लिये उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. निविदा सीलबन्द लिफाफे में कार्यालय अधीक्षक भू–अभिलेख जिला आगर मालवा को दिनांक 30.05.2016 को दोपहर 02:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) कक्ष क्रमांक 10 में वर्कलोड शाखा को प्रस्तुत की जा सकती है। नियत समय तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 04:00 बजे गठित समिति के समक्ष खोला जाकर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जावेगा, निविदाकार लिफाफे खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

12. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में 20,000/- (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) की प्रतिभूति राशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला आगर मालवा के पक्ष में नवीन प्लेज एफ.डी. जारी की गई हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रतिभूति की राशि जमा न होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा में दर्शायी गयी योजनाऐं कम या अधिक हो सकती है। यह कार्य कराने या न करने का अधिकार कलेक्टर जिला आगर मालवा के पास सुरक्षित होगा तथा निविदाकार द्वारा यह कार्य किए जाने की स्थिति में ही दर स्वीकृत की जावेगी उसी स्वीकृत दर पर कार्य किए जाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा।
14. कार्यादेश प्राप्त होते ही निविदाकार को यह कार्य प्रारंभ किया जाना होगा तथा इस कार्य को करने हेतु पत्रकों को लाने एवं ले-जाने तथा अन्य व्यय स्वयं को वहन किया जाना है।
15. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने अथवा निम्न कोटी कार्य करने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी एवं आदेशित कार्य अन्य खुले बाजार से सीधा करवाया जावेगा तथा उसमें जो अधिक व्यय/हानि होगी वह निविदाकार की ही प्रतिभुति राशि से अथवा राजस्व वसूली कि भांति वसूल की जावेगी।
16. न्यूनतम तथा उच्चतम भाव स्वीकृत करने या अधिकृत करने एवं एक या एक से अधिक निविदाकार के मध्य कार्य विभाजित करने का अधिकार, किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त अथवा अमान्य करने का अधिकार एवं अन्य किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर जिला आगर मालवा को होगा।
17. कार्यालय में निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त वह निविदा किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। सभी मामलों में न्याय क्षैत्र जिला आगर मालवा रहेगा।
18. निविदा के साथ उसमें वर्णित कार्य की दर टैक्स सहित रहेगी जिसका नियमानुसार भुगतान संबंधित संस्था द्वारा किया जावेगा एवं देयक के साथ टैक्स का चालान अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा।

(डी.व्ही.सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म0प्र0)

पृ .क्रं./1793/भू. अभि./वर्कलोड/2016 आगर-मालवा, दिनांक 20 /05/2016

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त भू-अभिलेख उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी आगर-बडोद/सुसनेर-नलखेडा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार तहसील आगर/बडोद/सुसनेर/नलखेडा की ओर भेजकर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के विक्रेताओं को इस निविदा से अवगत करावें तथा नोटिश बोर्ड पर चस्पा करने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवायें।
5. सहायक संचालक जन संपर्क विभाग जिला आगर मालवा की ओर दो समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करने हेतु।
6. मेसर्स...की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म0प्र0)

फर्म का नाम...

कमांक..........   दिनांक............

प्रति,

कलेक्टर महोदय

भू–अभिलेख

जिला आगर मालवा

विषयः– पांचवी लघु सिंचाई संगणना वर्ष 2013–14 के पत्रकों को कम्प्यूटरीकृत आनलाईन किए जाने की दर प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– आपकी निविदा क्रंमाक/797–98/भू.अभि./वर्कलोड/2016 आगर–मालवा, दिनांक 20/05/2016

––00––

उपरोक्त विषयांतर्ग में निवेदन है कि में मैंसर्स .... संदर्भित निविदा में दी गई समस्त शर्तो को मानते हुए में प्रत्येक लघु सिंचाई योजना वर्ष 2013–14 के प्रत्येक पत्रक प्रति योजना की समस्त जानकारी, ग्राम अनुसूची की समस्त जानकारी एवं अन्य जो भी जानकारी साफ्टवेयर में आनलाईन डाटा एंट्री किए जाने तथा ओरिजनल पत्रकों से मिलान कर जिला लघु सिंचाई संगणना अधिकारी को त्रुटि रहित होने पर पत्रक–1, पत्रक–2 एवं ग्रम सूची का फायनल प्रिंट दो प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु प्रति योजनावार रूपये .... (अक्षरी रूपये..) की दर पर कार्य करने की सहमती देता हुॅं।

हस्ताक्षर......................................

मैसर्स का नाम..............................

फर्म का नाम.................................

पता..

मुद्रा...